छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00081

श्री योगेन्द्र सिंह विरूद्ध वात्सल्य बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स द्वारा–डायरेक्टर श्री प्रफुल्ल पुरूषोत्तम राव गडगे, रायपुर

ग्राम–वात्सल्य गौरव–02, ग्राम–मुजगहन व सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
11/12/2018.	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में आवेदक श्री योगेन्द्र सिंह स्वतः उपस्थित। – अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि श्री बारिक के माध्यम से उपस्थित। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक द्वारा अनावेदक के ग्राम–मुजगहन तथा ग्राम–सेजबहार, तहसील व जिला–रायपुर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में विकसित प्लॉट क्रय करने का सौदा किया गया था। इस हेतु उभय पक्षों के मध्य दिनाँक 22.09.2012 को विक्रय इकरारनामा भी निष्पादित किया गया था। प्रश्नाधीन प्लॉट हेतु आवेदक द्वारा कुल रूपये 9,90,000/– का भुगतान किया जाना था। इसके एवज में उसके द्वारा अनावेदक को कुल रूपये 5,60,000/– का भुगतान किया जा चुका है। आवेदक का कथन है कि इकरारनामा की शर्तों के अनुसार अनावेदक को 24 माह के भीतर विकास कार्य पूर्ण करने थे, किन्तु अनावेदक द्वारा न तो प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का विकास किया जा रहा है और न ही आवेदक को उसके द्वारा दी गई राशि लौटाई जा रही है। प्रस्तुत आवेदन में आवेदक ने अनावदेक द्वारा निर्धारित अवधि में प्लॉट विकास कर प्रदान न करने के कारण उनके द्वारा भुगतान की गई राशि व नियमानुसार अन्य हक दिलाने का अनुरोध किया है। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को आहूत कर उन्हें पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण राशि रूपये 5,60,000/– ब्याज सहित लौटाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिसे आवेदक ने भी प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार किया। – अनावेदक द्वारा दिनाँक 28.11.2018 को प्राधिकरण के समक्ष ब्याज सहित उक्त संपूर्ण राशि रूपये 8,11,660/– आवेदक को निम्नानुसार पोस्ट डेटेज चेक्स के माध्यम से लौटाया गया। साथ	

छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★

Gu...

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : M-PRO-2018-00081

श्री योगेन्द्र सिंह विरूद्ध वात्सल्य बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स द्वारा–डायरेक्टर श्री प्रफुल्ल पुरूषोत्तम राव गडगे, रायपुर

ग्राम–वात्सल्य गौरव–02, ग्राम–मुजगहन व सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

ही इन चेक्स की छायाप्रति भी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई।

चेक क्रमांक	दिनाँक	राशि
चेक क्रमांक–589516	30.11.2018	2,00,000/–
चेक क्रमांक–589517	31.12.2018	2,00,000/–
चेक क्रमांक–589518	30.01.2019	2,00,000/–
चेक क्रमांक–589519	28.02.2019	2,11,660/–
	कुल	**8,11,660/–**

– आवेदक ने भी उक्त सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त होने तथा प्रस्तुत शिकायत पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं चाहने के संबंध में प्राधिकरण के समक्ष सहमति व्यक्त की है।

–प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में आवेदक को उसके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि वापस प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। यदि किन्हीं कारणों से अनावेदक द्वारा प्रदत्त चेक अनादरित होता है, तो संबंधित पक्ष प्राधिकरण के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

– प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे।

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★

(नरेन्द्र कुमार असवाल)
सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(राजीव कुमार टम्टा)
सदस्य
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

(विवेक ढाँड)
अध्यक्ष
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर